



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276486
CG-DL-E-25092026-276486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5055]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5055]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5262(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और, यतः केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के प्राधिकृत नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14(ए) की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2025-26 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान जनहित में ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पार्ट]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5262(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

AND WHEREAS, the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Andhra Pradesh for the auctions during the crop season 2025-2026, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco of the registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

NITIN KUMAR YADAV, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5263(अ).— तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(4 का 1975) की धारा 20 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तंबाकू बोर्ड को फसल सीजन 2025-2026 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू और अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की आंध्र प्रदेश राज्य में इसके नीलामी प्लेटफार्मों पर नीलामी में तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को उक्त अधिनियम के तहत सामान्य लागू सेवा प्रभारों के भुगतान पर खरीद की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पाटी]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

S.O. 5263(E).— In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at their auction platforms in the State of Andhra Pradesh for the auctions during crop season 2025-2026, the excess flue cured virginia tobacco produced by the registered growers and the unauthorised flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in the State of Andhra Pradesh on the payment of normal applicable service charges under the said Act.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

NITIN KUMAR YADAV, Addl. Secy.